

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट
श्री केसाराम पुत्र श्री हरजीजी जाति रेबारी निवासी मूरी तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरौही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा

किस्म मुकदमा— प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मुकदमा नं. 220 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
11.11.2020	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र नायब तहसीलदार पिण्डवाड़ा के मुकदमा सं. 23/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2020 के विरुद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधि को कण्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना—पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.12.2020 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर, सिरौही</p>	
28.12.2020	<p>अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में कोविड-19 के कारण देरी होना बताया गया है जो सदभावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांट/का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	

